

प्रेषकः

मुहैन्द बहादुर सिंह,  
अनुसंधित  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

*C.C.W.N.C.*  
11/8/114

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश शासन।

वन एवं वन्य जीव अनुशासन-2

लखनऊ, दिनांक

10 अगस्त 2016

विषय—

विधानसभा में बहादुर-नूरपुर -जोगा-झारोहा मार्ग किमी २०.५० की दूरी परी पर वन आजमण्ड उर्म इतनामक के खंडन सख्ति-147 ने एकार औंगल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिहेल आजमण्ड के समान मार्ग विभाग हेतु ०.०७५१ हेतु सरकार वन मंत्रि का विना वृक्ष वापास के बैर वानिकी प्रयोग वी अनुमति के सम्बद्ध में।

महोदयः

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 2070/विजनी/ 15797/यूपी/162/2015, दिनांक 27 मई 2016 एवं 139/11सी-विधानसभा 25-7-2016 का संदर्भ प्रहृष्ट करे।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया विषयात् प्रकल्प में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालग के पत्र संख्या-11-268/2014/एकारी, दिनांक 11-7-2014 के विन्यु (i) रो (vii) का अनुपालन किया गया है? कृपया एवं विषयक सूचना शासन को जीघ उपलब्ध करामे का कहन करें।

महोदयः

*भृंग*  
(मुहैन्द बहादुर सिंह )  
अनुसंधित

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक— ३२। /11सी-विजनीर, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 12, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपराषालम द्वारा आगिरा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कहन करें।

- 1— वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2— प्रमाणीय निदेशक, साठवां प्रमाण, विजनीर।

*वृ. १८/८/१६*  
(अरविन्द मुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन (सरकारी) अधिनियम १९९०  
१, उत्तर प्रदेश, लखनऊ